छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लॉक नं. – 07 ए, द्वितीय तल, ऑफिस काम्पलेक्स
सेक्टर – 24, अटल नगर रायपुर

क्रमांक/ई–निविदा/2020–21/ 1133 रायपुर, दिनांक 23.12.20

//खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में परिवहन एंव हम्माली कार्य हेतु संशोधित निविदा सूचना//

निगम द्वारा ई निविदा सूचना क्रमांक/परिवहन/2020–21/1123 दिनांक 28.11.2020 के माध्यम से परिवहन एंव हम्माली कार्य हेतु प्रतिष्ठित परिवहनकर्ताओं/ठेकेदारों से खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के लिये कार्पोरेशन के निर्धारित संबंधित ई – परिवहन एंव हम्माली निविदा दस्तावेज (जिसमें विस्तृत निविदा निर्देश/शर्ते आदि वर्णित है) में दिनांक 08.01.2021 सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किया गया है।

जिसके नियम एंव शर्तो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. **द्वार प्रदाय परिवहन कार्य (डीपीटी):–**

1. द्वार प्रदाय निविदा प्रपत्र के पेज नं. 10 में कंडिका 17.10 को निरस्त किया जाता है एंव क्रमांक 17.13 के पश्चात् 17.10 से 17.14 को पुनः उल्लेख है, जिसे 17.14 से 17.18 पढ़ा जावें।
2. कंडिका क्रमांक 17.13 एंव 32.30 (जीएसटी के संबंध में) को निरस्त किया जाता है एंव यह उल्लेखित किया जाता है कि जिन परिवहनकर्ताओं को जीएसटी का इनपुट लाभ लिया जाना हो, वे परिवहनकर्ता जीएसटी पंजीकृत का प्रमाण पत्र टेक्नीकल बीड/निविदा के साथ संलग्न करे साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों में ही इनपुट जीएसटी की राशि सम्मिलित रहेगी। अतः ऐसे परिवहनकर्ता दर भरते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगें। इनका देयक फारवर्ड चार्जेस के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से तैयार किया जावेगा।
3. कंडिका 8 में प्रत्येक बेस डिपो के लिए निविदा पृथक से क्रय किये जाने तथा कंडिका 14.2 बयाने की रकम जमा करने बाबत् तालिका में प्रत्येक बेस डिपो हेतु श्रेणीवार अमानत राशि का उल्लेख किया गया है। जिसके स्थान पर प्रत्येक जिला हेतु पढ़ा जावें।
4. द्वार प्रदाय निविदा जिलावाईज आमंत्रित की गई है। अतः बिन्दु क्रमांक 03 में बेस डिपो का नाम अंकित है। उसे निरस्त किया जाता है।
5. निविदा कंडिका क्रमांक 26.1 में संशोधित किया जाता है कि परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य नही करने की दशा में विंलबित कार्य की मात्रा हेतु 15.00 रू. प्रति क्विंटल प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी बतौर राशि वसूल की जावेगी।
6. निविदा कंडिका 28.6 अंतर्गत अतिरिक्त जोड़ा जाता है, कि बेस डिपो से उचित मूल्य की दुकानों के मध्य परिवहन के दौरान अधिकतम 100 किलोग्राम तक के चावल व गेंहू की मात्रा मे अनियमितता पाए जाने पर खाद्यान्न के बाजार मूल्य से 2 गुना अधिक की दर से परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी। इस मात्रा से अधिक की अनियमितता होने पर परिवहनकर्ता के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुबंध निरस्त किया जावेगा तथा रिस्क एंड कास्ट पर कार्य कराते हुए अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जावेगी एंव प्रतिबंधित/अयोग्य/कालीसूची में नाम दर्ज की जा सकती है, शेष जिन्सों पर कार्यवाही यथावत् रहेगी।

7. अनुसूची की दर (एसओआर) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। निविदाकार संशोधित दर के आधार पर कमी/वृद्वि का प्रतिशत (प्रतिटन प्रति कि.मी.) के साथ ई – निविदा में ABOVE SOR / BELOW SOR में अपनी दरें प्रस्तुत करें।

क.	एसओआर स्लैब (कि.मी.)	अनुसूची की दर (SOR) (प्रति टन प्रति कि.मी.)
1	0–8 कि.मी.	7.74 7.74*8 = 61.92 प्रति टन (फ्लैट रेट)
2	8–20 कि.मी.	5.35 प्रतिटन प्रति कि.मी.
3	20–40 कि.मी.	3.75 प्रतिटन प्रति कि.मी.
4	40–80 कि.मी.	2.96 प्रतिटन प्रति कि.मी.
5	80 कि.मी. से अधिक	2.37 प्रतिटन प्रति कि.मी.

2. <u>लंबी दूरी परिवहन कार्य (एलआरटी):–</u>

1. कंडिका कमांक 16.11 एंव 31.12 (जीएसटी के संबंध में) को निरस्त किया जाता है एंव यह उल्लेखित किया जाता है कि जिन परिवहनकर्ताओं को जीएसटी का इनपुट लाभ लिया जाना हो, वे परिवहनकर्ता जीएराटी पंजीकृत का प्रमाण पत्र टेक्नीकल बीड/निविदा के साथ संलग्न करे साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों में ही इनपुट जीएसटी की राशि सम्मिलित रहेगी। अतः ऐसे परिवहनकर्ता दर भरते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगें। इनका देयक फारवर्ड चार्जेस के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से तैयार किया जावेगा।
2. निविदा कंडिका 27.5 अंतर्गत अतिरिक्त जोड़ा जाता है, कि बेस डिपो से संबंधित प्रदाय केन्द्रों के मध्य परिवहन के दौरान अधिकतम 100 किलोग्राम तक के चावल व गेंहू की मात्रा मे अनियमितता पाए जाने पर खाद्यान्न के बाजार मूल्य से 2 गुना अधिक की दर से परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी। इस मात्रा से अधिक की अनियमितता होने पर परिवहनकर्ता के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुबंध निरस्त किया जावेगा तथा रिस्क एंड कास्ट पर कार्य कराते हुए अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि निगम हित में राजसात कर ली जावेगी एंव प्रतिबंधित/अयोग्य/कालीसूची में नाम दर्ज की जा सकती है, शेष जिन्सों पर कार्यवाही यथावत् रहेगी।
3. अनुसूची की दर (एसओआर) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। निविदाकार संशोधित दर के आधार पर कमी/वृद्वि का प्रतिशत (प्रतिटन प्रति कि.मी.) के साथ ई – निविदा में ABOVE SOR / BELOW SOR में अपनी दरें प्रस्तुत करें।

क.	एसओआर स्लैब (कि.मी.)	अनुसूची की दर (SOR) (प्रति टन प्रति कि.मी.)
1	0–8 कि.मी.	7.74 7.74*8 = 61.92 प्रति टन (फ्लैट रेट)
2	8–20 कि.मी.	5.35 प्रतिटन प्रति कि.मी.
3	20–40 कि.मी.	3.75 प्रतिटन प्रति कि.मी.
4	40–80 कि.मी.	2.96 प्रतिटन प्रति कि.मी.
5	80 कि.मी. से अधिक	2.37 प्रतिटन प्रति कि.मी.

3. <u>हम्माली कार्यः–</u>

1: 16.10 अतिरिक्त जोड़ा जाता है, जिसमें यह उल्लेखित किया जाता है कि ज़िन परिवहनकर्ताओं को जीएसटी का इनपुट लाभ लिया जाना हो, वे परिवहनकर्ता जीएसटी पंजीकृत का प्रमाण पत्र टेक्नीकल बीड के साथ संलग्न करे साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों में ही इनपुट जीएसटी की राशि सम्मिलित रहेगी। अतः ऐसे परिवहनकर्ता दर भरते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेगें। इनका देयक फारवर्ड चार्जेस के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर से तैयार किया जावेगा।

2. कंडिका 26.1 के अनुसार हम्माली कार्य अंतर्गत देयक की राशि के साथ ईपीएफ चालान जमा करने पर नियमानुसार 80 प्रतिशत राशि भुगतान करने का प्रावधान है शेष 20 प्रतिशत रोकी गई राशि का भुगतान वर्षान्त पर वार्षिक विवरणी जमा करने पश्चात् भुगतान करने का उल्लेख है। जिसके स्थान पर देयक की रोकी गई शेष राशि मासिक ईपीएफ विवरणी जमा करने पश्चात् नियमानुसार भुगतान की जावेगी।

3. हम्माली निविदा अंतर्गत पेज कमांक 19 के अनुकमांक 11 में भारी माल वाहन पंजीयन कमांक का उल्लेख है। जिसे निरस्त किया जाता हैं।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

20/Khate

ए.जी.एम. (परिवहन)